भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1039
दिनांक 04 दिसम्बर, 2024/ 13 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

भारतीय कैदियों में विचाराधीन कैदी

1039 श्री जोस के. मणिः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास देश भर की विभिन्न जेलों में बंद कैदियों की संख्या के बारे में आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास देश भर के भारतीय कैदियों में से विचाराधीन कैदियों की संख्या का ब्यौरा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के मद्देनजर क्या सरकार के पास देश भर के कैदियों में विचाराधीन कैदियों के अनुपात को कम करने की कोई योजना/प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा उसे सूचित किए गए कारागार संबंधी आंकड़ों को संकलित करता है और उनको अपने वार्षिक प्रकाशन "प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया" में प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। 31 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार, देश की जेलों में बंद कुल कैदियों की संख्या एवं विचाराधीन कैदियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

राज्य सभा अता.प्र.स. 1039 दिनांक 04.12.2024

(ङ) और (च): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II के तहत, 'कारागार'/'उनके भीतर बंद व्यक्ति', "राज्य सूची" का विषय है । अत: कैदियों के प्रशासन और प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। तथापि, गृह मंत्रालय ने विचाराधीन कैदियों के मुद्दे का समाधान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) को बदलकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 कर दिया गया है, जो 01 जुलाई, 2024 से लागू हो गई है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479(1) में यह प्रावधान है कि 'इस संहिता के अंतर्गत जहां कोई व्यक्ति किसी विधि के अधीन किसी अपराध (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए मृत्यु या आजीवन कारावास का दंड उस विधि के अधीन दंडों में से एक के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) के अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि की आधी अवधि तक निरुद्ध रहा है, वहां उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया जाएगा।'

बीएनएसएस की धारा 479(1) के परंतुक में पहली बार अपराध करने वालों/विचाराधीन कैदियों के लिए भी राहत का प्रावधान किया गया है कि, जहां ऐसा व्यक्ति प्रथम बार अपराधी है (जिसे पूर्व में कभी किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है) उसे न्यायालय द्वारा बांड पर रिहा किया जाएगा, यदि वह उस कानून के अधीन ऐसे अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि की एक-तिहाई अवधि तक निरुद्ध रह चुका है।

(ii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अध्याय XXII में प्रतिवादी और अभियोजन पक्ष के बीच विचारण-पूर्व समझौते का प्रावधान है। यह एक ऐसा प्रयोजन है, जिसके माध्यम से प्रतिवादी को हल्का दंड मिल सकता है और यह कम लागत वाला है, प्रतिवादी और न्यायालय दोनों का समय बचाता है तथा इसमें मामले का शीघ्र निपटान हो जाता है।

(iii) राष्ट्रीय ई-प्रिजन पोर्टल राज्य जेल प्राधिकारियों को कैदियों के आंकड़े त्वरित एवं कुशल तरीके से उपलब्ध करवाने की सुविधा प्रदान करता है और यह उन कैदियों की पहचान करने में उनकी मदद करता है, जिनके मामलों पर "विचाराधीन कैदी समीक्षा समिति" (अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी) द्वारा विचार किया जाना है।

(iv) राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों ने जेलों में विधिक सेवा क्लीनिक स्थापित किए हैं, जो जरूरतमंद व्यक्तियों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। ये क्लीनिक यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किए गए हैं कि सभी कैदियों को उनका पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता उपलब्ध हो जाए और उन्हें कानूनी सहायता एवं सलाह उपलब्ध हो जाए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नि:शुल्क कानूनी सहायता की उपलब्धता, प्ली बार्गेनिंग, लोक अदालतों और कैदियों के जमानत के अधिकार सहित उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए भी जेलों में जागरूकता शिविरों का आयोजन करता है।

(v) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किए गए 'आदर्श कारागार मैनुअल 2016' में 'कानूनी सहायता' और 'विचाराधीन कैदी' आदि पर विशेष अध्याय निहित हैं, जिनमें विचाराधीन कैदियों को उपलब्ध कराई जा सकने वाली सुविधाओं अर्थात कानूनी बचाव, वकीलों के साथ साक्षात्कार, सरकारी खर्चे पर कानूनी सहायता के लिए न्यायालयों में आवेदन करने आदि के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश दिए गए हैं।

(vi) गृह मंत्रालय समय-समय पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को विचाराधीन कैदियों की समस्याओं के समाधान के लिए उपाय अपनाने हेतु एडवाइजरीस जारी करता हैं। ये एडवाइजरीस गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

******

राज्य सभा अता.प्र.स. 1039 दिनांक 04.12.2024

अनुलग्नक

दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार देश की जेलों में बंद कुल कैदियों की संख्या और विचाराधीन कैदियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कैदियों की कुल संख्या	विचाराधीन कैदियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	7254	5123
2	अरुणाचल प्रदेश	335	184
3	असम	11592	8608
4	बिहार	64914	57537
5	छत्तीसगढ़	20451	12820
6	गोवा	681	572
7	गुजरात	16611	11129
8	हरियाणा	25471	19279
9	हिमाचल प्रदेश	2881	1926
10	झारखंड	19615	14786
11	कर्नाटक	16203	12605
12	केरल	8883	5610
13	मध्य प्रदेश	48857	26877
14	महाराष्ट्र	41070	32883
15	मणिपुर	855	592
16	मेघालय	1137	829
17	मिजोरम	1580	1049
18	नागालैंड	469	302
19	ओडिशा	18962	16058
20	पंजाब	30801	24198
21	राजस्थान	24659	19233
22	सिक्किम	387	268
23	तमिलनाडु	18806	11564
24	तेलंगाना	6497	4221
25	त्रिपुरा	1194	735
26	उत्तर प्रदेश	121609	94131
27	उत्तराखंड	6858	4722
28	पश्चिम बंगाल	28789	23706
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	258	173
30	चंडीगढ़	1195	832
31	दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव	176	162
32	दिल्ली	18497	16759
33	जम्मू और कश्मीर	5314	4587
34	लद्दाख	30	26
35	लक्षद्वीप	6	6
36	पुदुचेरी	323	210
	कुल	573220	434302

****